जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली देहात **दिनांक 03.09.2023**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 233/2023 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29/30.08.2023 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा गांव वालों के पशु चोरी कर ले जाने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर गांव वालो के सहयोग से चोरों की घेराबन्दी की गयी, किन्तु चोर पशु छोडकर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। इस संबंध में वादी श्री इस्लाम पुत्र काले निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 233/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा सभी 05 पशुओं को बरामद कर पशु स्वामियों के सुपुर्द किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 1-अनस पुत्र इस्लामुद्दीन, 2-सलमान पुत्र घसीटा निवासीगण मौ0 कस्साबान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर, 3-सुभान उर्फ भूरा व 4-रियाज पुत्रगण उस्मान उर्फ बाबू निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अनस पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 कस्साबान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनस पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 कस्साबान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 179/2019 धारा 147/149/323/427 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 233/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- थानाध्यक्ष जयवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2- हे0कां0 429 योगेन्द्र राठी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3- कां0 2554 यतेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

4- हो0गा0 925 सुरेशचन्द्र कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

थाना धामपुर पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित किया गिरफ्तार, मृतक की साईकिल व मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.09.2023 को थाना धामपुर क्षेत्र के मिलक-भज्जावाला रोड पर तिराहे के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी धामपुर मय स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट टीम के मौके पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त मोर्चरी भिजवाया गया । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त रियासत पुत्र अली मौहम्मद निवासी ग्राम चक मौहम्मद नगर उर्फ मिलक पूरनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर के रूप में हुई। घटना के संबंध में मृतक के भाई श्री कलवा ने अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादी के भाई रियासत के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर देने के संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 381/23 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में तीन अभियुक्तगण 1.रितिक पुत्र सुनील कुमार चौहान 2.विशाल पुत्र आनन्द दिवाकर निवासीगण ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 3.अनमोल वर्मा पुत्र पंकज वर्मा नि0 मौ0 आनन्द विहार कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 381/23 धारा 302 भादवि में वांछित तीन अभियुक्तगण 1.रितिक पुत्र सुनील कुमार चौहान 2.विशाल पुत्र आनन्द दिवाकर निवासीगण ग्राम नौरगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3.अनमोल वर्मा पुत्र पंकज वर्मा नि0 मौ0 आनन्द विहार कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर मु0अ0सं0 381/23 धारा 302 भादवि से संबंधित मृतक रियासत की साईकिल व मोबाईल फोन (वीवो कम्पनी) बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि वे तीनों दिनांक 01.09.2023 समय करीब 06.00 बजे शीला टाकीज के पास शराब के ठेके से शराब ले रहे थे तो भीड ज्यादा होने के कारण शराब पहले लेने को लेकर उनकी एक व्यक्ति से उनकी कहासुनी हो गयी थी। कहासुनी से झुब्ध होकर तीनो अभियुक्तों ने उक्त व्यक्ति से बदला लेंने की योजना बनाई। जब वह व्यक्ति समय करीब 22.15 बजे शराब पीकर अपनी साइकिल से मुन्नी देवी वाले रास्ते से मिलक वाले रास्ते की तरफ को चल दिया तो तीनों अभियुक्तों ने स्कूटी से उसका पीछा किया, स्कूटी अनमोल वर्मा चला रहा था। तीनों अभियुक्तों ने मौका पाकर साइकिल सवार

व्यक्ति को नंगला भज्जा वाली रोड से मुन्नी देवी मन्दिर की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते के तिराहे पर घेरकर उसके साथ मारपीट करने लगे व अधमरा जानकर वहां से चले गए तथा उसकी साईकिल व मोबाईल फोन को गड्ढे व झाडियों में छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पताः-

1.रितिक पुत्र सुनील कुमार चौहान निवासी ग्राम नौरगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.विशाल पुत्र आनन्द दिवाकर निवासी ग्राम नौरगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3.अनमोल वर्मा पुत्र पंकज वर्मा निवासी मौ0 आनन्द विहार कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

1.मृतक की साईकिल

2.मृतक का मोबाईल फोन (वीवो कम्पनी)

3.घटना में प्रयुक्त पत्थर व बेल्ट (घटनास्थल से बरामद)

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1.रितिक उपरोक्त

1.मु0अ0स0-381/2023 धारा 302 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0-379/2023 धारा 354(ख) 323,504,506 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.अनमोल वर्मा उपरोक्त

1.मु0अ0स0-381/2023 धारा 302 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0-379/2023 धारा 354(ख) 323,504,506 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3.विशाल उपरोक्त

1. मु0अ0स0-381/2023 धारा 302 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज कुमार तोमर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.निरीक्षक अपराध श्री अत्ता मौहम्मद थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 श्री सन्दीप शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

4.हे0का0 514 मनीष खोखर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

5.हे0का0 517 कपिल आर्य थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

6.हे0का0 722 रजनेश थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

7.का0 895 रणजीत मलिक थाना धामपुर जनपद बिजनौर।